यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाचार्य,राजकीय औद्ध्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रधानाचार्य,राजकीय औद्ध्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), देहरादून** के माह 09/2018से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार एवं श्री मुकेश कुमार-II सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28-10-2020से 05-11-2020 तक श्री टी॰ एस॰ नेगीवरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकःइस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री मुन्ना राम लेखा परीक्षक श्रीपवन कुमार लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री पुष्कर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 06/09/2018 से 11/09/2018 तक मे संपादित किया गया था जिसमें 03/2012 से 08/2018तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2018 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **प्रधानाचार्य,राजकीय औद्ध्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) देहरादून**का मुख्य कार्यकलाप प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं।देहरादून जनपदके अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) रू॰	बचत स्थापना (-) रू॰	बचत गैर स्थापना (-) रू॰
	स्थापना रू॰	गैर स्थापना रू॰	आवंटन रू॰	व्यय रू॰	आवंटन रू॰	व्यय रू॰			
2017-18	--	--	200.98	198.57	27.64	24.07	--	2.41	3.57
2018-19	--	--	138.93	71.92	67.01	22.58	--	67.01	44.43
2019-20	--	--	1.54	1.54	34.20	31.14	--	--	3.06
2020-21 (09/2020 तक)	--	--	0.74	0.74	0.26	0.12	--	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+)	बचत(-)
2017-18		शून्य				
2018-19						
2019-20						
2020-21 (09/2020 तक)						

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति का मुख्य स्त्रोत निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1 सचिव 2. अपर सचिव 3. संयुक्त सचिव 4. उप सचिव 5. अनुसचिव 6. निदेशक 7. अपर निदेशक 8.उप निदेशक 9. संयुक्त निदेशक 10. प्रधानाचार्य 11 अधीनस्थ कर्मचारी आदि .

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रधानाचार्य,राजकीय औद्ध्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) देहरादून**(अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य,राजकीय औद्ध्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) देहरादूनकी लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2020 एवं 06/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।राज्य सरकार से प्राप्त धनराशिका विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम,2007 तथालेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग II (ब)

प्रस्तर 01 : इकाई की उदासीनता के कारण धनराशि रुपये 11.52 लाख की सामग्री निष्प्रयोज्य अवस्था में रहना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI प्रस्तर 189 एवं 190 के अनुसार जैसे ही यह तथ्य सामने आए कि स्टोर की कोई सामाग्री निष्प्रयोज्य हो गयी है तो तत्काल फॉर्म 18 के प्रारूप में एक रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को दी जाएगी। इसके पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोक नीलामी द्वारा बिक्री कर सामग्री का समायोजन किया जाएगा।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्ध्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), देहरादून के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सितम्बर 2020 तक कुल रुपये 11,52,408/- की सामग्री निष्प्रयोज्य अवस्था में पड़ी हुई है। उक्त सामग्री को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोक नीलामी द्वारा बिक्री करके समायोजन किया जाना चाहिए था, लेकिन विभाग द्वारा इस सामग्री को सम्प्रेक्षा अवधि (10/2020) तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रखा हुआ है। विभाग की उदासीनता के कारण उक्त सामग्री क्षतिग्रस्त हो रही है एवं उसका मूल्य दिन प्रति दिन ह्रास होता जा रहा है। अतः उक्त सामग्री को शीघ्र नीलाम करके उसका समायोजन किया जाना चाहिए जिससे उस धनराशि का समुचित उपयोग किया जा सके।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि संस्थान में वर्ष 2018 में नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न कराई गयी थी, उक्त सामग्री जनवरी 2020 में प्राप्त होने के कारण अभी नीलामी नहीं करायी गयी है। वर्तमान तक उक्त के सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिसकी शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इकाई को उक्त सामग्री जनवरी 2020 में प्राप्त हो चुकी थी लेकिन 09 माह से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी उक्त सामग्री की नीलामी किए जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जिससे सामग्री क्षतिग्रस्त हो रही है एवं उसका मूल्य दिन प्रति दिन ह्रास होता जा रहा है।

अतः धनराशि रुपये 11.52 लाख की सामग्री निष्प्रयोज्य अवस्था में रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर02:- बिना मूल टिकट/ टिकट संख्या के रु 11,183/- का यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति किया जाना।

शासनादेश संख्या: 78/XXVII(7)/2009, दिनांक 1 मार्च 2009 के बिन्दु (1) के अनुसार "**यात्रा भत्ता देयक के साथ मूल टिकट/ उसकी प्रति/ टिकट संख्या संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।**"

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) देहरादून के अभिलेखों एवं यात्रा भत्ता अभिलखों की संप्रेक्षा में पाया गया कि यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति के लिए किए दावे किए गए बिल के आधार पर बिना मूल टिकट/ टिकट संख्या के यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है -

सारणी

क्र0 सं0	**यात्रा प्रतिपूर्ति हेतु दावा करने वाले कर्मचारी का नाम**	**यात्रा अवधि**	**बिना मूल टिकट/ टिकट संख्या के प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि**
1.	श्री दिनकर रौतेला, प्रधानाचार्य	19/08/2018 से 16/10/2018 तक	रु 1800/-
2.	श्री बलिस्टर प्रसाद, अनुदेशक	08/10/2018 से 11/10/2018 तक	रु 900/-
3.	श्री विवेक सिंह, चौकीदार	15/11/2018 से 16/11/2018 तक	रु 730/-
4.	श्री सुशील कुमार वाधवा, वरिष्ठ सहायक	15/04/2018 से 20/04/2018 तक	रु 700/-
5.	श्री महेश चंद, कार्यदेशक	15/04/2018 से 17/04/2018 तक	रु 900/-
6.	श्री मुन्नी खाती, अनुसेवक	17/06/2018 से 19/06/2018 तक	रु 700/-
7.	श्री बलिस्टर प्रसाद, अनुदेशक	26/03/2018 से 27/03/2018 तक	रु 1100/-
8.	श्री नवीन चंद भण्डारी, कार्यदेशक	07/07/2018 से 13/07/2018 तक	रु 1100/-
9.	श्री दिनकर रौतेला, प्रधानाचार्य	07/12/2017 से 08/04/2018 तक	रु 3253/-
	योगफल		**रु0 11,183/-**

उपर्युक्त सारणी के अनुसार रु 11,183/- का यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति बिना मूल टिकट/ टिकट संख्या के किया गया है। जो उपर्युक्त शासनादेश का उल्लंघन है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो एव आंकणों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि " साधारण बस से यात्रा करने हेतु मूल टिकट की आवश्यकता नहीं होती है।" इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि उक्त नियम से संबंधित कोई भी अभिलेख इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः बिना मूल टिकट/टिकट संख्या के रु 11,183/- का यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर 03: इकाई द्वारानिर्मित किए गए सामानों की धनराशि रूपये 84263/- की बिक्री नहीं कराया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI प्रस्तर 187 के अनुसार जब स्टॉक सामग्री जनता या अन्य विभागों को बेची जाती है, तो पर्यवेक्षण, भंडारण, और आकस्मिकताओं के लिए 10 प्रतिशत अधिक अतिरिक्त प्रभार को शामिल किया जाता है। हालांकि, अधिशेष स्टॉक के मामले में बिक्री को मंजूरी देने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा इसे माफ किया जा सकता है, जो कि अनुमन्य है। जिसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिक्री कर सामग्री का समायोजन किया जायेगा।

प्रधानाचार्य,राजकीय औद्ध्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) देहरादूनमें संचालित ट्रेडो के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इकाई के अन्तर्गत संचालित ट्रेडस, फैशन टेक्नोलोजी एवं स्विंग टेक्नोलोजी में छात्राओं को प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराये गए कच्चे माल से विभिन्न प्रकार के सामानों को निर्मित किया गया निर्मित किए गए 71 मदों के 518 सामानों की लागत लगभग धनराशि रूपये 84263/- थी(सूची संलग्न)। निर्मित किए गए सामानों को शीघ्र किसी संस्था के माध्यम/ खुली बिक्री से उक्त उत्पादित सामानों की बिक्री करायी जानी चाहिए थी। इकाई की उदासीनता के कारण कई वर्षों से उत्पादित सामानों की बिक्री नहीं कराये जाने एवं सामग्री का समुचित रखरखाव नहीं किए जाने से सामग्री क्षतिग्रस्त हो रही है, एवं उसका मूल्य दिन प्रति दिन ह्रास होता जा रहा है। अतः उक्त सामग्री को शीघ्र बिक्री करके उसका समायोजन किया जाना चाहिए, जिससे उस धनराशि का समुचित उपयोग किया जा सके।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि संस्थान में उत्पादित सामग्री की बिक्री का प्रावधान है, जिस हेतु उच्च अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त कर बिक्री करा ली जायेगी। उक्त के सम्बंध में वर्तमान तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिसे शीघ्र सम्पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व के वर्षों की उत्पादित सामग्री के सम्बंध में अवगत कराया की सूची तैयार की जा रही है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इकाई द्वारा वर्ष 2016-17 से वर्तमान तक निर्मित किए गए 518 आइटम सामान की लागत लगभग धनराशि रूपये 84263/- थी। जिसे इकाई की उदासीनता के कारण चार वर्षों से अधिक समय से उत्पादित सामानों की बिक्री नहीं कराये जाने एवं सामग्री का समुचित रखरखाव नहीं किए जाने से सामग्री क्षतिग्रस्त हो रही है, एवं उसका मूल्य दिन प्रति दिन ह्रास होता जा रहा है। इकाई द्वारा निर्मित किए गए सामानों को शीघ्र किसी संस्था के माध्यम/ खुली बिक्री से उक्त उत्पादित सामानों की बिक्री नहीं करायी गयी।

अतः इकाई द्वारा निर्मित किए गए 71 मदों के 518 सामानों की धनराशि रूपये 84263/- की बिक्री नहीं कराये जाने का प्रकरण संज्ञा में लाया जाता है।

प्रधानाचार्य,राजकीय औद्ध्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) देहरादूनमें संचालित फैशन टेक्नोलोजी एवं स्विंगटेक्नोलोजी के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं का वर्ष 2016-17 से 2019-20 का विवरण

क्र॰ सं॰	वस्तु का नाम	उत्पादन का वर्ष	वस्तु की संख्या	वस्तु की दर	कुल मूल्य
1	चोली कट ब्लाउज	2016	13	162	2106
2	बोयज पैंट	2016	04	423	1692
3	लेडीज कुर्ता	2016	02	168	336
4	सादा पायजामा (छोटा)	2016	01	68	68
5	ब्वाइज़ ग्रे शर्ट	2016	02	304	608
6	ब्वाइज़ सफेद शर्ट	2016	02	302	604
7	नेहस कुर्ता	2016	08	100	800
8	पेन्ट	2016	08	283	2264
9	अलीगढ़ पायजामा	2016	01	137	137
10	सादा पायजामा	2016	05	125	625
11	ट्राउजर	2016	06	237	1422
12	लेडीज कुर्ता	2016	06	174	1044
13	चोली कट ब्लाउज	2016	01	165	165
14	गर्ल्स टॉप	2016	04	91	364
15	नाईटी	2016	02	248	496
16	छः कली पेटीकोट	2016	04	153	612
17	अलीगढ़ पायजामा	2018	11	55	605
18	लेडीज कुर्ता+ सलवार	2018	10	148	1480
19	नाईटी	2018	01	116	116
20	पेन्ट कट पायजामा	2018	09	57	513
21	साधारण फ़्राक	2018	11	77	847
22	ए लाइन फ़्राक	2018	09	247	2223
23	छः कली पेटीकोट	2017	08	204	1632
24	नाईटी	2017	07	310	2170
25	सादा ब्लाउज	2017	08	96	768
26	ब्वाइज़ फुल शर्ट	2017	05	138	690
27	पेन्ट कट पायजामा	2017	07	145	1015
28	नाइट सूट	2017	03	167	501
29	चोली कट ब्लाउज	2017	12	179	2148
30	अलीगढ़ पायजामा	2017	09	204	1836
31	जेन्ट्स शर्ट	2017	07	207	1449
32	पेन्ट कट पायजामा	2017	05	193	965
33	पेन्ट	2017	10	305	3050
34	नेहरू कुर्ता	2017	05	192	960
35	लेडीज कुर्ती	2017	08	221	1768

36	सादा ब्लाउज	2017	10	182	1820
37	चोली कट ब्लाउज	2017	08	106	848
38	नेहरू कुर्ता+ अलीगढ़ पायजामा	2018	02	238	476
39	चूड़ीदार पायजामा	2018	11	67	737
40	जेन्ट्स शर्ट (फुल)	2018	07	75	525
41	पेन्ट कट पायजामा	2018	10	74	740
42	साधारण फ़्राक	2018	10	58	580
43	ब्लाउज (सफ़ेद)	2018	12	63	756
44	सादा ब्लाउज	2018	09	45	405
45	नेहरू कुर्ता	2018	04	93	372
46	सादा ब्लाउज	2018	11	45	495
47	पेन्ट कट पायजामा	2018	11	69	759
48	फ़ैन्सी फ़्राक	2018	18	80	1440
49	हाफ शर्ट	2018	17	79	1343
50	फ़्राक	2019	11	418	4598
51	फ़्राक	2019	09	281	2529
52	छः कली पेटीकोट	2019	14	150	2100
53	छः कली पेटीकोट	2019	02	383	766
54	सादा ब्लाउज	2019	08	168	1344
55	ब्लाउज	2019	04	45	180
56	सादा ब्लाउज	2019	10	71	710
57	लेडीज कुर्ता	2019	10	85	850
58	सलवार	2019	10	80	800
59	लेडीज कुर्ता	2019	03	85	255
60	सलवार	2019	02	78	156
61	छः कली पेटीकोट	2019	14	80	1120
62	लाइन फ़्राक	2019	09	247	2223
63	नाईटी	2020	11	488	5368
64	सादा ब्लाउज	2020	12	315	3780
65	चूड़ीदार पायजामा	2020	05	634	3170
66	फ़्राक	2020	10	104	1040
67	फ़्राक	2020	01	134	134
68	चूड़ीदार पायजामी	2020	04	163	652
69	चोलीकट ब्लाउज	2020	01	65	65
70	लेडीज कुर्ता	2020	08	381	3048
71	लेडीज कुर्ता एवं टॉप (छोटा)	2020	06	00	00
कुलयोग			**518**		**84,263**

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी
111/2018-19	शून्य	01	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
111/2018-19	भाग II 'ब' 01	लम्बित अनिस्तारित प्रस्तर की अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों से अनुमोदित करा कर सीधे प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य,राजकीय औद्ध्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), देहरादूनतथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i)शून्य
3. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	अनिल सिंह	प्रधानाचार्य	01/09/2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रधानाचार्य,राजकीय औद्ध्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) देहरादूनको इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/एएमजी-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,महालेखाकार भवन,कौलागढ़, देहरादून-248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए०एम०जी०-I